Government of India
Wireless Planning & Coordination Wing
Ministry of Communications and Information Technology
Department of Telecommunications

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13, 1932
No. 614] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 884(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13)की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17)की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां का (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं -- इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम,1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम,1933 (1933 का 17) में हैं ।

3. 13.553 - 13.567 मेगा हर्टज आवृत्ति रेंज में अतरंग अनुप्रयोग के लिए मे अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां का उपयोग – किसी व्यक्ति को 13.553 - 13.567 मेगा हर्टज आवृत्ति रेंज में अतरंग अनुप्रयोग के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तिया या उपस्करों जिसके अंतर्गत

अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, उपयोग के प्रयोजन के लिए उसे स्थापित करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, रखने या व्यवहार करने में जिसमें बिना हस्तक्षेप, बिना संरक्षण या सम्मिलित(अनन्य रूप से नहीं) आधार पर नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकतम अन्तर्निर्मित ऐन्टेना के साथ और क्षेत्र तीव्रता सीमा तथाअन्य तकनीकी प्राचलों के सिवाय, कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :-

सारणी

तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	10 मीटर की दूरी पर अधिकतम विद्युत /चुम्बकीय कीय क्षेत्रतीव्रता सीमा	ऐन्टेना
(1)	(2)	(3)
13.553 - 13.567 मेगा हर्टज	42 माइक्रो ए / मी 10 मीटर पर या 93.5 माइक्रो वी / 10 मीटर पर	अन्तर्निर्मित ऐन्टेना

परंतु इन आवृति बैंड में किसी भी प्रकार से विद्यमान अनुज्ञप्ति अधिकार या प्रक्रियों और योजनाबद्ध बेतार प्रचालनों पर प्रभाव नहीं पडेगा।

4. व्यतिकरण — अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन, विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी अवकर्षण, अपनिर्वचन, या सूचनाओं की हानि जो ऐसी अनवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति के निष्कर्ष में हो सकेगा, जहॉं अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है सूचित करेगा कि उसके अनुज्ञप्ति प्रणाली में किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से जो इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त है से हानिकारक व्यतिक्रम हो रहा है, ऐसी बिना अननुज्ञप्तधारी बेतार उपस्करों के उपयोग को जो उपस्करों के पुनर्स्थापन द्वारा व्यतिक्रम को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय, शक्ति को कम करके, एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके जिसके अंतर्गत ऐसे बेतार के उपयोग को रोकना भी है, यदि अपेक्षित हों, करने होंगे ।

परंतु ऐसे रोकने से पहले ऐसे बेतार उपस्करों के अननुज्ञप्तिधारी उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा ।

5. उपस्कर –

(1) जहां अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां के प्रकार उपस्कर के अनुमोदित होंगे, उपर्युक्त नियम 3 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप उत्सर्जन बैंड की चौड़ाई और अन्य पैरामीटर्स होंगे और ऐसी रीति में अनुमोदित या डिजाइन और संनिर्माण किए जाएंगे ।

(2) उपस्करों के प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबंध 1 में दिए गये आवेदन प्ररूप करना होगा ।

(3) उपरोक्त उपस्करों के आयात करने के लिए "आयात अनुज्ञप्ति" प्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबंध 2 में दिए गये आवेदन प्ररूप में करना होगा ।

[सं. आर-11020/04/2009-पीपी]

आर. के. निरंजन, सहायक बेतार सलाहकार

उपाबंध 1

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

1.	उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम	:
2.	विनिर्माता का डाक पता	:
3.	प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता	:
4.	उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं0 आदि)	:

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

1.	आवृत्ति रेंज	:
2.	प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं0	:
3.	वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं0 (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)	:
4.	टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथककरण (डुप्लैक्स/ मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)	:
5.	समीपवर्ती चैनल पृथककरण (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)	:

6. आवृत्ति स्थायित्व :
7. कूट/सन्नादी विकरण
   i. कैरियर सप्रेशन :
   (कैरियर सप्रैस्ड तंत्र की दशा में)
   ii. आवांछित साइड बैंड सप्रेशन :
   (एसएसबी तंत्र की दशा में)
   iii. द्वितीय सन्नादी विकरण :
   iv. तृतीय सन्नादी विकरण :
8. अधिकतम आवृत्ति विचलन :
9. उत्सर्जन की रीति :
10. उत्सर्जन की बैंडविड्थ :
11. परीक्षण टोन विचलन :
12. आधार बैंड आवृत्ति :
   (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
13. अपेक्षित मोड्यूलेशन का प्रकार :
14. पूर्व जोर :
15. विद्युत आउटपुट :
   (एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अन्य जानकारी :

भाग-ग-प्रापकों के विवरण

1. आवृत्ति रेंज :
2. प्राप्ति की रीति :
3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया :
4. संवेदनशीलता :
5. आवृत्ति स्थायित्व :
6. (क) प्रभावी ध्वनी तापमान :
   (ख) अवसीमा इनपुट स्तर
7. मध्यवर्ती आवृत्ति :
8. जोर मुक्ति :
9. चयनशीलता :
10. कोई अन्य विशिष्टियां :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(टिप्पणः प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

उपाबंध-2

भारत में बेतार पारेषण और/या ट्रांसरिसीविंग उपस्कर के आयात के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. भारत में स्थायी पता :
3. पत्तन जिस पर उपस्कर का आयात अपेक्षित है :
4. आयात की संभावित तारीख :
5. सीसीआई आयात अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, का संदर्भ (वाणिज्य मंत्रालय) :
6. क) संचार मंत्रालय के करार पत्र का संदर्भ :
   ख) क्या प्रथम अनुज्ञप्ति अभी चाहिए या उपाबंध
7. प्रयोजन जिसके लिए अपेक्षित है :

(हस्ताक्षर)

मद सं0	विनिर्माता का नाम	क्या पारेषक /ट्रांसरिसीवर है या उसका अवयव है	मॉडल या प्रकार सं0	मात्रा	प्रचालन की आवृत्ति और आरएफ विद्युत आउटपुट	अनुमानित सी.आई.एफ मूल्य, यदि ज्ञात हो ।
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न किया जाने वाला तकनीकी साहित्य

स्थानः तारीखः आवेदक के हस्ताक्षर

4296 GI/10-2

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(WIRELESS PLANNING AND COORDINATION WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2010

G.S.R. 884(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

1. **Short title and commencement .-** (1) These rules may be called the Use of very low power Radio Frequency devices , for indoor applications in the 13.553-13.567 MHz frequency range (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meanings respectively assigned to them in those the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933).

3. **Use of very low power Radio Frequency devices, for indoor applications in the 13.553-13.567 MHz frequency range.–** No person shall require license to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices, or equipments including Short Range Devices or Radio Frequency Identification

Devices, for indoor applications in the 13.553-13.567 MHz frequency range, on non-interference, Non-protection and shared (non exclusive) basis, with built-in antenna and maximum Field Strength Limits and other Technical parameters as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Technical characteristics

Frequency Band	Maximum Electric or Magnetic Field strength limit at ten meter distance	Antenna
(1)	(2)	(3)
13.553-13.567 MHz	42 dBμA/m at 10 meter OR 93.5dB μV /m at 10 meter	Built-in

Provided that it does not in any way, affects the licensing rights or procedures of existing and planned wireless operations, in this frequency band;

4. **Interference .-** The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae including discontinuation of such wireless use, if required;

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment by the issuing authority.

5. **Equipment. -** (1) The very low power Radio Frequency wireless devices shall be of Equipment type approved designed and constructed in such a manner so that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 3.

(2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such application format in Annexure I.

(3) For the import of the above equipments, the application for obtaining "Import License" shall have to be made to the Central Government in Annexure II

[No. R-11020/04/2009-PP]

R. K. NIRANJAN, Asstt. Wireless Adviser

Annexure-I

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval :
2. Postal Address of manufacturing Agency :
3. Name and address of Indian agency applying for the type approval.
4. Name of product and the product Identification (model number etc.,) :

Section- B- Dtetails of Transmitter

1. Frequency range :
2. No. of preset switchable channels :
3. No. of voice /Data/ TV Channels (In case of multi- channel equipment) :

4. Tx-Rx channel separation :
(In case of Duplex/multi-channel equipment)

5. Adjacent channel separation :
(In case of multi-channel equipment)

6. Frequency stability :

7. Spurious/ Harmonic radiations :

i. Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)

ii. Unwanted side band suppression :
(In case of SSB systems)

iii. 2nd Harmonic radations :

iv. 3rd Harmonic radiations :

8 Max. Frequency Deviation :

9 Mode of emission :

10 Bandwidth of emission :

11 Test Tone deviation :

12. Base band frequency :
(In case of multi channel equipment)

13. Type of modulation to be required :

14. Pre-emphasis :

15. Power output :
(At the input of antenna)

16. Any other information :

Section-C- Details of Receivers

1. Frequency range :

2. Mode of reception :

3. Spurious response of receiver :

4. Sensitivity :

5. Frequency stability :

4296 GI/10-3

6. (a) Effective noise temperature :

   (b) Threshold input level :

7. Intermediate frequency :

8. De-emphasis :

9. Selectivity :

10. Any other particulars :

Signature of the applicant

Place :

Date :

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment.)

Annexure-II

APPLICATION FOR A LICENCE TO IMPORT WIRELESS TRANSMITTING AND/OR TRANSRECEIVING APPARATUS INTO INDIA

1. Name of Applicant (IN BLOCK CAPITAL) :

2. Permanent Address in India :

3. Port at which it is desired to import apparatus :

4. Probable date of importation :

5. Reference of C.C.I (Ministry of Commerce) Import Licence, if any :

6. a) Reference of Ministry of Communications Agreement Letter :

b) Whether first licence wanted now or annexure :

7. Purpose for which required :

(Signature)

Item No	Manufacturer's Name	Whether Transmitter/ Transreceiver Or components There of	Model or Type No.	Quantity	Frequency of Operation & RF power Output	Approx. C.I.F Value, if known
1	2	3	4	5	6	7

TECHNICAL LITERATURE TO BE ENCLOSED.

Place : Date : Signature of Applicant :

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.